<u>संख्या-212/2026/आई0/1452930/2026-5-6099/133/2026-6-</u>

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-78-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-29फ/10(08)26/254, दिनांक 17.04.2026 एवं पत्र संख्या-29फ/10(08)26/338, दिनांक 23.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-78-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख के सापेक्ष 05 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण/स्थापना कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में व्यय की कार्ययोजना उपलब्ध कराते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-78-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार व्यय की कार्ययोजना पर शासनादेश दिनांक 10.03.2021 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख में)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदेश के शहरी क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर स्थापित किये जाने हेतु संशोधित कार्य योजना का विवरण :–

क्र. सं.	चिकित्सा इकाई का विवरण	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत/ प्रस्तावित लागत (रू. लाख में)	वित्तीय वर्ष 2026–27 में लागत के सापेक्ष मांग की प्रस्तावित धनराशि (रू. लाख में)	अभियुक्ति	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
प्रदेश के शहरी क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर स्थापना						
आय–व्ययक प्राविधान– रू. 2000.00 लाख						
कुल निर्गत स्वीकृति– रू. 0.00 लाख						
प्रेषित प्रस्ताव – रू. 0.00 लाख						
अवशेष धनराशि – रू. 2000.00 लाख						
1	100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया, आजमगढ़।		646.70	323.35	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नये कार्य हेतु प्रथम किश्त	कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु महानिदेशालय के पत्र संख्या–29क/10(08)26/ 288 दिनांक 05.06.2026 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
2	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लालगंज, आजमगढ़।		753.68	376.84	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नये कार्य हेतु प्रथम किश्त	तदैव
3	जिला महिला चिकित्सालय महोबा		907.70	453.85	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नये कार्य हेतु प्रथम किश्त	कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु महानिदेशालय के पत्र संख्या–29क/10(08)26/ 233 दिनांक 19.06.2026 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
4	100 शैय्या चिकित्सालय धामपुर, बिजनौर।		1376.68	344.17	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नये कार्य हेतु प्रथम किश्त	तदैव
5	सरदार वल्लभभाई पटेल 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, भगवतपुर, प्रयागराज।		2244.36	561.09	वित्तीय वर्ष 2026–27 में नये कार्य हेतु प्रथम किश्त	तदैव
योग			**5929.12**	**2059.30**		

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 10.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
3. किसी भी प्रकार की अनियमित्ता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

3. तदनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://sha

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।